न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/120/2022 प्रार्थना पत्र दायर दिनांक 13.07.2022

उनवान

1. सोहनलाल पिता भैरूलाल जाति सुखवाल आयु वयस्क निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
2. मोहनीदेवी पत्नी सोहनलाल जाति सुखवाल आयु वयस्क निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

1. प्रकाश पिता भैरूलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
2. श्यामलाल पिता भैरूलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
3. हजारी पिता भैरूलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
4. नारायणलाल पिता भैरूलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
5. झमकलाल पिता भैरूलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
6. जगदीश पिता नाथुलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी तुम्बड़िया तहसील व जिला चित्तौडगढ़।
7. गोपाललाल पिता नाथुलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी तुम्बड़िया तहसील व जिला चित्तौडगढ़।

––अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच –प्रार्थीगण
अधिवक्ता श्री किशन लाल जाट –अप्रार्थीगण

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 :–

निर्णय दिनांकः 30.04.2025

–:निर्णयः–

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट के तहत निम्न निवेदन के साथ प्रस्तुत किया कि यह कि मौजा पाण्डोली तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की हाल जमाबन्दी दर्ज खाता सं.– 549 से आराजी सं. 2409 रकबा 0.69 हैक्टर स्थित है उक्त आराजी को प्रार्थीगण ने लागत लगा आबादान कर उपजाउ बनाया व फसले जो बो कर काश्त कर अपने परिवार का पेट पाल रहे है।

यह कि उक्त उल्लेखित आराजी पर जाने आने, मवेशी, बैलगाडी, ट्रैक्टर ट्रोली लाने ले जाने का कदीमाना एक मात्र रास्ता सरकारी आम रास्ता आराजी सं.– 2403 से पश्चिम से होकर आगे प्रार्थीगण के खातेदारी दर्ज रास्ता आ०स० – 2404 होकर उत्तर दिशा में मुडकर प्रार्थीगण के सामलाती आराजी सं.– 2406 पर पहूंचता है व प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी सं.– 2416 व आ०स० – 2414 उत्तरी सीमा पर होकर उत्तर से पश्चिम में आगे बढते हुए अप्रार्थीगण की आराजी सं0–2408 रकबा 1.10 हैक्टर की दक्षिणी सीमा के दक्षिणी पश्चिमी कोने में प्रवेश कर प्रार्थीगण की आराजी सं.– 2409 में पहूंच रहा है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण कई बरसों से बरोकटोंक करते आ रहे है व अप्रार्थीगण की आराजी सं.– 2408 की दक्षिणी सीमा के दक्षिणी पश्चिमी कोने से प्रार्थीगण अपनी आराजी सं.– 2409 में प्रवेश करते आ रहे है उक्त रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी सं.– 2408 में सलंग्न प्रार्थना पत्र नक्शे मे लाल स्याही से दर्शित है व उक्त रास्ता 15 फिट चौडा है और प्रार्थीगण की आराजी सं.– 2409 में पैदल जाने आने, ट्रैक्टर, थ्रेसर, हल, फसल, मवेशी लाने का एक मात्र लघुतम व सुगम रास्ता है। व उक्त रास्तें मे प्रार्थीगण ने आराजी सं.– 2406 से रास्ते भूमिगत करीब 3 फिट गहरी सिंचाई हेतू पाईप लाईन भी बरसो पूर्व दबा रखी है जो आराजी सं.– 2409 तक कायम है।

यह कि अप्रार्थीगण ने सलंग्न प्रार्थना पत्र नजरी नक्शा आराजी सं. 2409 में कायम प्रार्थीगण की आराजी सं. 2408 में कायम है। प्रार्थीगण की आराजी सं.– 2409 में आने जाने के गाडी गडार के कायम रास्ते को 01 जून 2022 में पत्थर के पीलर से लोहे के तार व जाली लगा रास्ता रोक दिया जिससे प्रार्थीगण का अपनी उक्त

आराजी में आना जाना, फसल काश्त करना रूक गया है जिससे प्रार्थीगण काश्तकार को भारी नुकसान हो रहा है और कोई रास्ता उपलब्ध नही है।

यह कि अप्रार्थीगण ने उल्लेखित रास्ते को अपनी आराजी में कांटेदार जाली लगा जुताई कर नष्ट करने की कोशिश की और रास्ते के अलामात भी नष्ट किये इसलिये उक्त रास्ते को प्रार्थीगण कायम रखा रेवेन्यू रेकार्ड में उक्त धारा अंकित कराने की प्रार्थना करते है और अदालत से निवेदन करते है कि उल्लेखित उक्त रास्ते से प्रार्थीगण को आराजी सं0–2409 में पैदल जाने आने, ट्रैक्टर, थ्रेसर, हल, फसल, मवेशी आदि से नही रोके वरना प्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा जिसकी पूर्ति सम्भव नही है।

यह कि प्रार्थीगण उक्त धारा निर्धारण अनुसार प्रार्थीगण द्वारा उल्लेखित सलंग्न नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित अप्रार्थीगण की आराजी सं.– 2408 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर कायम रास्ते के लिये अप्रार्थीगण को प्रचलित डी. एल. सी. दर से श्रीमान् के आदेशानुसार एवज भूमि राशि जमा कराने को तैयार है इसी साथ आराजी सं.– 2408 में उल्लेखित रास्ते के एवज अपने आराजी सं.– 2409 अप्रार्थीगण को आराजी सं.– 2408 से सट्मा पूर्वी हिस्से में से एवज भूमि रकबा देने को तैयार है। इसका भौतिक सत्यापन आधार मौका रिपोर्ट से तकाजा अदालत आप कायम करना फरमावे।

यह कि दिनांक 01–06–2022 को अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र में वर्णित अप्रार्थीगण की आराजी से जाने आने के गाडी गडार के रास्ते से रोका रास्ते के अलामात को हंकाई जुताई कर पत्थर के खम्बे खडे कर लोहे के तार जाली लगाकर अवरोधित कर दिया और प्रार्थीगण के एतराज करने पर गाली गलोच कर लडाई झगडा करने पर आमादा हुआ है जिससे बिना प्रार्थना पत्र पैदा होकर निरन्तर बनी हुई है।

अतः प्रार्थीगण की प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थनापत्र में वर्णित ग्राम पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित प्रार्थीगण आराजी सं.– 2409 रकबा 0.69 हैक्टर में पैदल जाने आने, ट्रैक्टर, थ्रेसर, हल, फसल, मवेशी आदि लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता जो सरकारी आम रास्ता आराजी सं0–2403 से आगे प्रार्थीगण की आराजी दर्ज रास्ता आराजी सं.– 2404 से होकर उत्तर दिशा मे मुडकर अप्रार्थीगण की आराजी सं.– 2416 व 2414 की उत्तरी सीमा पर होता हुआ अप्रार्थीगण की आराजी सं.– 2408 रकबा 1.10 हैक्टर की दक्षिणी सीमा के दक्षिणी पश्चिमी कोने मे प्रवेश कर प्रार्थीगण की आराजी सं. 2409 मे पहूच रहा है को किसी भी प्रकार से अवरोध रख बाधित नही करे, आवागमन हेतू खुला रखे व उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण की आराजी सं. 2408 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर 15 फिट चौडा प्रार्थीगण की आराजी सं. 2409 में आने जाने हेतू राजस्व रेकार्ड में निर्धारण फरमावे। व उक्त रास्ता प्रार्थीगण को दिलाये जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री किशन लाल जाट का अधिकार पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। **अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0 का जवाब प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है–**

1. प्रार्थनापत्र की कालम संख्या एक का जवाब इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजियात रेवेन्यू रेकार्ड अनुसार दर्ज होना स्वीकार है।
2. प्रार्थनापत्र की कॉलम सख्या 2 गलत होकर स्वीकार नही है। प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी नम्बर 2409 में पहुँचने के लिये अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2408 की दक्षिणी सीमा के दक्षिणी पश्चिमी कोने से प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2409 में कोई रास्ता नही है । न तो पूर्व में था न वर्तमान में है बल्कि प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2409 में पहुँचने के लिये ग्राम पाण्डोली से कपासन जाने वाली सड़क से उत्तर तरफ आराजी नम्बर 2411 की पश्चिमी मेर (पाली) पर स्थित रास्ता में होकर आगे आराजी नम्बर 2410 में स्थित रास्ता में होकर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2409 में प्रवेश कर जाते है तथा आराजी नम्बर 2409 में होकर आगे उत्तर की तरफ अन्य खातेदार अपनी आराजियात में पहुँचते है। मौके पर आराजी नम्बर 2411, 2410 में वर्तमान में रास्ता चालु होकर पत्थर के खम्भे लगे होकर तार जाली लगे हुए है प्रार्थीगण इनके पूर्वजों के समय से ही इसी रास्ता से आते जाते रहे है और उपयोग उपभोग करते आ रहे है अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2408 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से कभी नही आते जाते थी और उपयोग नही किया है तथा प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2409 में पहूँचने का यदि पहले से आराजी नम्बर 2411, 2410 की पश्चिमी पाली से रास्ता कायम है तो दुसरा रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है बकाया तथ्य गलत होकर स्वीकार नही है।
3. प्रार्थनापत्र की कालम संख्या 3 गलत होकर स्वीकार नहीं है जब प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2409 में आने जाने फसल लाने काश्त करने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2411, 2410 की पश्चिमी पाली पर दक्षिण से उत्तर तरफ रास्ता कायम है तो अब दुसरा रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। आराजी नम्बर 2411, 2410 में मौजूद रास्ता के वास्ते सिबुत जवाब के साथ फोटो ग्राफ पेश है प्रार्थीगण की आराजियात में पहूँचने का वैकल्पिक रास्ता कायम है तो सुविधा के लिये दुसरा रास्ता प्राप्त नही कर सकता है।

4. प्रार्थनापत्र की कालम संख्या 4 गलत होकर स्वीकार नही है प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2409 में पहुॅचने के लिये पैदल जाने आने ट्रेक्टर, थ्रेसर, हल, फसल, मवेशी आदि के लिये आराजी नम्बर 2411, 2410 की पश्चिमी मेर पर रास्ता कायम है जिसको प्रार्थीगण ने अपनी आराजी नम्बर 2409 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर तार जाली लगा करके जानबुझकर बंद कर रखा है प्रार्थीगण को कोई नुकसान नही हो रहा है।
5. प्रार्थनापत्र की कालम संख्या 5 गलत होकर स्वीकार नही है जब आराजी नम्बर 2411, 2410 की पश्चिमी मेर (पाली) पर रास्ता कायम है तो आराजी नम्बर 2408 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से कोई रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है तथा किसी प्रकार से सहायता प्राप्त नही कर सकता है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2410, 2408 जो सटमा है उसके टुकड़े करने की नियत से उक्त रास्ता की मांग की है जो प्राप्त करने के अधिकारी नही है।
6. प्रार्थनापत्र की कॉलम संख्या 6 गलत होकर स्वीकार नही है प्रार्थीगण को कोई बिनाय प्रार्थनापत्र पैदा नही हो रही है प्रार्थीगण ने अपनी आराजी नम्बर 2409 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर जानबुझकर तारजाली लगाकर रास्ता को जानबुझकर बन्द कर रखा चूँकि इनकी आराजी नम्बर 2409 के पश्चिमी मेर पर होकर आगे उत्तर की तरफ अन्य काश्तकार जाते जिससे इन्होने जानबुझकर बंद कर रखा है।
7. प्रार्थनापत्र की कॉलम संख्या 7 कानुनी है जवाब की ताईद में अप्रार्थीगण का सही शपथपत्र पेश है।
8. प्रार्थनापत्र की कालम संख्या 8 गलत होकर स्वीकार नही है।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण का जवाब स्वीकार फरमा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार कपासन से मौका रिपोर्ट दिनांक 22.12.2023 से प्राप्त होकर दिनांक 02.01.2024 को शा0फा0 की गई। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

   प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रेकार्ड (मौजा पाण्डोली) के आ0नं0 2409 पर आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता दर्ज रेकार्ड नहीं है। अप्रार्थी द्वारा अपनी सहखातेदारी में दर्ज आराजी नं0 2410 व 2411 के पश्चिमी दिशा की तरफ मेर के सहारे सहारे (जहां नया रास्ता दो–तीन दिन पूर्व ही बनाया है) जेसीबी से नया रास्ता मौके पर बनाया है।
2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

   तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है।
3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

   अप्रार्थीगण रास्ते के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात नहीं चाहते है।
4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

   सहमति के प्रयास किये परन्तु सहमति नहीं बनी।
5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

   लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित अनुसार

   आ0नं0 2408 में से दक्षिणी पश्चिमी कोने के पास 20 वर्गमीटर (5 मी0 लम्बाई × 4 मी0 चौडाई)

   कुल प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 0.0020 हैक्ट0 है।

   कुल राशि डी0एल0सी0 दर 513270 रूपये प्रति हैक्टयर से 20 वर्गमीटर भूमि की राशि 1027 रूपये का दुगुना 2054 रूपये बनते है।

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा मौखिक बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर रास्ता उपलब्ध कराया जावें। वकील अप्रार्थीगण द्वारा बहस कर निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये–

1. **2023(2) RRT 1165**
2. **2022–23 (Supp.) RRT 282**

उक्त न्यायिक दृष्टान्त पेश कर वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र पर उक्त न्यायिक दृष्टान्त लागू होते है, साथ ही प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच हेतु अप्रार्थीगण ने अपनी आराजीयात से रास्ता छोडा हुआ है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें। उक्त के क्रम में वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार कपासन द्वारा बनायी गई है। जिसमें प्रस्तावित रास्ता निकटतम मार्ग है, वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

हमने की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उक्त पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त पत्रावली पर लागू नही होते है। अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा पाण्डोली पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन के हल्के बैरूनी की आराजी नं0 2409 रकबा 0.69 हैक्ट0, स्थित है, पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 2408 से रास्ता चाह रहे है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः मौजा पाण्डोली की आ0 सं0 2409 पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा पाण्डोली पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी न0 2409 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की मौजा पाण्डोली की आ.न. 2408 है। जिससे रास्ते का प्रस्तावित रकबा आ0नं0 2408 में से 5मी0 × 4मी0 कुल क्षेत्रफल 0.0020 हैक्ट0 है जिसका दिनांक 23.01.2023 के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार बिलानाम रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अनुसार कुल रकबा 0.0020 हैक्ट0 की डीएलसी दर 513270 × 0.0020 हैक्ट0 = 1027 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 2054/– रूपये अक्षरे दो हजार चौवन रूपये राशि जो कि अप्रार्थीगण को राजस्व रेकार्ड में हक हिस्से अनुसार देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के नाम हक हिस्से अनुसार डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भीतर–भीतर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर बिलानाम रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन